

From:
**Member Secretary,
SEIAA UP,
Lucknow, Uttar Pradesh.**

To,
**The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.**

Ref. No. 672/NGT-193/2021

Dated: 25 November, 2021


Subject: Joint committee Report of Hon'ble NGT order dated 06.08.2021 passed in OA No. 193/2021 in the matter of RG Residency Apartment Owner Association V/s. State of U.P. & Ors.

Sir,

In compliance to the orders passed by this Hon'ble Tribunal dated 06.08.2021 passed in OA No. 193/2021 in the matter of RG Residency Apartment Owner Association V/s. State of U.P. & Ors., the joint committee report in the above mentioned matter is enclosed herewith and is being filed before this Hon'ble Tribunal.

Encl: As above.

Yours Sincerely,


(Shruti Shukla)
Dy. Director

**STATUS REPORT IN COMPLIANCE OF
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORDER DATED 6th AUGUST, 2021**

**IN
ORIGINAL APPLICATION NO 193/2021
TITLED
RG RESIDENCY APARTMENT OWNER
ASSOCIATION
VS
STATE OF UTTAR PRADESH & ORS**

1. Background

The issue pertains to non-functioning of sewage treatment system at Group Housing Complex, R.G. Residency, Sector 120, NOIDA resulting in untreated sewage being discharged unscientifically to the detriment of the environment. In view of above complaint, Hon'ble Tribunal passed following orders on 6.8.2021:-

"...In view of above, we direct the State PCB, SEIAA, UP and CEO NOIDA to look into the matter consistent with the directions already issued and as per legal mandate and take remedial measures in accordance with law to prevent violation of environmental norms as well as fixing accountability for past violations. Member Secretary, SEIAA, UP will act as nodal agency for coordination and compliance. The said authorities may ascertain whether requisite EC/consents have been granted and whether condition thereof are being met. If not, remedial action be taken for compliance. In particular, functioning of STP, meeting of standards and utilisation of treated sewage and manner of disposal of treated effluents and solid waste may be looked into..."

2. Compliance and Action Taken Report

In compliance of directions of Hon'ble Tribunal, the Committee comprising of officers from SEIAA, UP, NOIDA Authority and State PCB inspected the group housing society on 27.09.2021 and held discussion with representatives of Association of Apartments and verified the status of installation and operation of Sewage Treatment Plant. SEIAA, UP has accorded Environmental Clearance to M/s R.G. Residency Pvt. Ltd. Vide Letter 1136/424/Parya/SEAC/2010

deek.
(Paras nalk.)

dated 11.05.2011, however compliance of said clearance has not been submitted and validity of same has not been renewed by SEIAA, UP. Copy of said Environmental Clearance is annexed as **Annexure I**.

During inspection it has been informed that out of proposed 10 towers, 08 have been constructed which comprises of 1540 flats, out of these around 1320 are inhabited. Sewage treatment plant was found installed on site, however same was not operational and untreated sewage was being discharged through Authority's sewerage network which leads to terminal STP based on SBR technology at Sector 123, NOIDA. Sample of untreated sewage being discharged to Authority's sewer was collected and analyzed at NABL accredited laboratory of Board. In view of non-compliance with regards to operation of sewage treatment plant and occupancy of flats without obtaining requisite Consent to Operate from Board, environmental compensation of Rs. 91,40,000/- has been recommended against the project. Also, it is recommended to register prosecution against the Directors of M/s R.G. Residency Pvt. Limited under the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, copy of said recommendation is annexed as **Annexure II**.


(Satya Vijay)
AEE
UPPCB, Noida


(Sanjay Parashar)
Sr. Manager
Noida Authority


(Utsav Sharma)
Regional Officer
UPPCB, Noida


(Paras Nath)
Member, SEIAA, U.P.

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parisar
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : up.seiaa@yahoo.com

Ref.No. 1136 /424/Parya/ SEAC/2010

Date: | | May, 2011

To,

Sri S.K. Agarwal,
Chief Advisor,
M/s R.G. Residency Pvt. Ltd.,
501, RG trade Tower , Netaji Subhash Place,
Pitampura delhi-110034

Sub: Regarding Environmental Clearance of proposed Group Housing Project "R.G. Residency" at GH-02, Sector-120, Noida, M/s R.G. Residency Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 06-05-2010 addressed to the Director, State Level Environmental Impact Assessment Authority, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee has considered the matter and has been given to understand by your representatives that:

1. The Environment Clearance is sought for Group Housing "RG Residency" at GH-02, Sector-120, Noida.
2. Plot area is 51,067 Sq.m. and total built-up area is 2,41,754 Sq.m.
3. Total no. of dwelling units is 1756.
4. Total water requirement is 695.5 KLD which shall be sourced from municipal authority.
5. Power requirement is 5260 KVA which shall we supplied from UPPCL.
6. The proposal is covered under category 8"b" of EIA notification dated 14/09/2006, as amended.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (meeting held on 21/04/2011) on the above said project, the State Level Environment Impact Assessment Authority (meeting held on 05/05/2011) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to the effective implementation of the following conditions:

a. **General Conditions :**

1. Project proponents shall endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purposes and compliance.
2. 2% of total project cost should be reserved to create a corpus of funds for implementing plan under social, corporate and environmental responsibility and proposals submitted within a month of issuance of environmental clearance.
3. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
4. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U P pollution control board before start of construction.

5. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the p_a management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
6. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent authority shall be obtained in this regards.
7. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent authority.
8. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
9. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
10. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
11. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
12. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
13. Obtain necessary clearances from the competent authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
14. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law, Necessary clearances in this regards shall be obtained.
15. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
16. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
17. The emissions and effluents etc. from machines, Instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
19. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
21. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
22. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
23. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.
24. No wetland should be infringed during construction and operation phases. Any wetland coming in the project area should be suitably rejuvenated and conserved.
25. Pavements shall be so constructed as to allow infiltration of surface run-off of rain water. Fully impermeable pavements shall not be constructed. Construction of pavements around trees shall be as per scientifically accepted principles in order to provide suitable watering, aeration and nutrition to the tree.
26. The Green building Concept suggested by Indian Green Building Council, which is a part of CII-Godrej GBC, shall be studied and followed as far as possible.
27. Compliance with the safety procedures, norms and guidelines as outlined in National Building Code 2005 shall be compulsorily ensured.

28. Ensure usage of dual flush systems for flush cisterns and explore options to use sensor based fixtures, waterless urinals and other water saving techniques.
29. Explore options for use of dual pipe plumbing for use of water with different qualities such as municipal supply, recycled water, ground water etc.
30. Ensure use of measures for reducing water demand for landscaping and using xeriscaping, efficient irrigation equipments & controlled watering systems.
31. Make suitable provisions for using solar energy as alternative source of energy. Solar energy application should be incorporated for illumination of common areas, lighting for gardens and street lighting in addition to provision for solar water heating. Present a detailed report showing how much percentage of backup power for institution can be provided through solar energy so that use and polluting effects of DG sets can be minimized.
32. Make separate provision for segregation, collection, transport and disposal of e-waste.
33. Educate citizens and other stake-holders by putting up hoardings at different places to create environmental awareness.
34. Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the proposed project site must be avoided. Parking should be fully internalized and no public space should be utilized.
35. Prepare and present disaster management plan.
36. The project proponents shall ensure that no construction activity is undertaken without obtaining pre-environmental clearance.
37. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy efficiency should be prepared incorporating details about building materials and technology, R & U Factors etc.
38. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of fly ash notification of September, 1999 and amended as on August, 2003 (The above condition is applicable only if the project lies within 100 km of Thermal Power Station).
39. The DG sets to be used during construction phase should use low sulphur diesel type and should conform to E.P. rules prescribed for air and noise emission standards.
40. Alternate technologies to Chlorination (for disinfection of waste water) including methods like Ultra Violet radiation, Ozonation etc. shall be examined and a report submitted with justification for selected technology.
41. The green belt design along the periphery of the plot shall achieve attenuation factor conforming to the day and night noise standards prescribed for residential land use. The open spaces inside the plot should be suitably landscaped and covered with vegetation of indigenous variety.
42. The construction of the building and the consequent increased traffic load should be such that the micro climate of the area is not adversely affected.
43. The building should be designed so as to take sufficient safeguards regarding seismic zone sensitivity.
44. High rise buildings should obtain clearance from aviation department or concerned authority of
45. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
46. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
47. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
48. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
49. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.

50. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
51. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
52. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
53. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
54. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
55. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
56. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
57. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
58. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
59. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
60. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
61. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
62. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
63. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
64. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
65. Dispensary for first aid shall be provided.
66. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
67. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
68. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.
69. The green belt shall consist of 50% trees, 25% shrubs and 25% grass as per MoEF norms.
70. A Separate electric meter shall be provided to monitor consumption of energy for the operation of sewage/effluent treatment in tanks.
71. An energy audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the authority.

b. Specific Conditions:

1. Complete Surface water analysis for Yamuna and Hindon River should be done through the UPPCB/CPCB as per methods of monitoring and analysis (Annexure-4) Guidance for assessment of representativeness and reliability of baseline environmental attributes detailed under EIA manual January, 2001 and other guidelines in the matter and submitted within 03 months of the issue of environmental clearance.
2. Stack height should be calculated on cumulative capacity as per MoEF

3. Permission from Municipal Authority should be submitted within 03 months of receipt of this letter for discharge of excess untreated effluents into municipal sewage system for subsequent treatment failing which this clearance shall be deemed to be cancelled.
4. Treated effluent should be analyzed once in 06 months and report submitted.
5. All internal and peripheral roads should be minimum 09 m wide.
6. Project proponents shall make endeavor to obtain ISO: 14001 certification. All general and specific conditions mentioned under this environmental clearance should be included in the environmental manual to be prepared for the certification purpose and compliance.

The project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issue of the clearance. Failing this the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.


These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(Dr. C.S. Bhatt)
Member Secretary, SEIAA

Copy for necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. Nalini Bhatt, Director, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
5. Nodal Officer, SEAC, Directorate of Environment, U.P. Lucknow.
6. Nodal Officer, SEIAA, Directorate of Environment, U.P. Lucknow.


(Dr. Yashpal Singh)
Secretary, SEAC and
Director, Environment Directorate,
Govt. of U.P.



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 522/NOC-165/21

दिनांक: 11-10-2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:—मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी (प्रमोटर—मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि०), प्लॉट नं०—जी०एच०—०२,
सेक्टर—120, नोएडा के विरुद्ध परिवाद दायर एवं विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवासीय परियोजना के किये गये संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। निरीक्षण के दौरान परियोजना में 900 के०एल०डी० शोधन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित पाया गया। जो निरीक्षण के दौरान पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्स्रवाह को कलैक्शन टैंक से अशुद्धिकृत अवस्था में ही सीधे प्राधिकरण की सीवर लाइन में मोटर के माध्यम से निस्तारित होता पाया गया। परियोजना संचालनार्थ बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किये गये हैं परियोजना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बगैर संचालित है जो कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्रख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध रु० 91,40,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार परियोजना द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत संदर्भित परियोजना मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि० के निदेशको के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद दायर किये जाने की संस्तुति सहित आख्या समस्त संलग्नको सहित मूलरूप में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि—

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी (T)/नोडल-पर्यावरण, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 1002/2018 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.07.2021 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(A.B.S.)

मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी (प्रमोटर-मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0), प्लॉट नं0-जी0एच0-02, सेक्टर-120, नोएडा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त संदर्भित आवासीय परियोजना से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट ओनर एसोशिएशन एप्लीकेन्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में उक्त गुप हाउसिंग परियोजना का सदस्य, (SEIAA), उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक-27.09.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती शौफाली गुप्ता, अध्यक्ष (ए0ओ0ए0), श्री सी0एस0 गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार, (आर0जी गुप) परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। कार्यालय अभिलेखानुसार आख्या निम्नवत् है-

1. उक्त आवासीय परियोजना में प्रस्तावित कुल 10 टावर में से 08 टावर निर्मित पाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 1540 प्लैट निर्मित किये हैं। उक्त निर्मित किये गये प्लैट्स में से 1320 प्लैट ऑक्युपाइड अवगत कराये गये। उक्त आवासीय परियोजना को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के पत्र संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2015/III-206/816 दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तथा तत्समय से ही परियोजना में आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास करना प्रारम्भ किया जाना अवगत कराया गया है, प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिसंलग्नक है, (संलग्नक-1)।
2. आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के कलैक्शन टैंक में एकत्रित कर पम्प के माध्यम से अशुद्धिकृत अवस्था में ही प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। निरीक्षण के दौरान निस्तारित किये जा रहे अशुद्धिकृत सीवर का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद की प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है सैम्पल कलैक्शन फार्मेट की प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त आवासीय परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ-88400/सी-1/एन/एनओसी/807/2011/5 दिनांक 01.07.2011 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। परियोजना द्वारा गुप हाउसिंग परियोजना के संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किये गये हैं। गुप हाउसिंग परियोजना बोर्ड से वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर संचालित है।
4. गुप हाउसिंग परियोजना द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का किये जा रहे उल्लंघन के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध रू0 91,40,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्रांक 566/एनओसी-165/2021 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है, प्रति संलग्न (संलग्नक-3)।

उपरोक्तानुसार परियोजना द्वारा जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के उल्लंघन के दृष्टिगत संदर्भित परियोजना के प्रस्तावक मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0 के निदेशको के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद दायर किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशनार्थ सादर प्रस्तुत है। परियोजना के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम व पते (संलग्नक-4) के रूप में संलग्न है।

क्षेत्रीय अधिकारी


06/10/2021
(पी0पी0 सिंह)
अवर अभियन्ता


06/10/2021
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

पत्रावली संख्या III-206 (3) 1

नवीन औद्योगिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य कार्यालय भाग रोड - 02, नोएडा

संख्या: नोएडा/मुआर/2015/ III-206 / 816

दिनांक: 09/09/15

मुख्य मंत्रालय अतिथि
नवीन औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

डीपार्टमेंट ऑफ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर (माओ) लिमिटेड
मुख्य संत नोएडा - 02, रोड - 120,
नोएडा

प्रिय महोदय,

मे एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यारसुविध श्री शंकरांक शर्मा कार्पोरेट ऑफ आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट संख्या सीए/97/22034 समूह/फर्म के परीक्षण में गुण सांख्यिक मुख्य संख्या जीएच - 02, रोड - 120, नोएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण / पुनर्निर्माण/परिवर्तन / विस्तार के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मे घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित प्रोजेक्ट यारसुविध के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा संलग्न प्रमाण पत्र के आधार पर अधिनियम संरचना मजबूती, अग्नि सुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सार्वजनिक स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिनियम के योग्य है।

यह अधिनियम पत्र दिनांक 20.08.2015 को प्राधिकरण द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा मुख्य संत / भाग में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विडिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भाग विनियमावली के विरुद्ध कार्य निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 से अन्तर्गत रहने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। नवियम में मुख्य संत / भाग में नोएडा विडिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भाग विनियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत करना तथा उदा भाग का अधिनियम नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उक्त पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी / मू-स्वागी का होगा।

मुख्य संत क्षेत्रफल = 61,087.00 वर्ग मी०

मू-आच्छादन का विवरण:

सम्पूर्ण योजना में अनुमत्य मू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	20,426.80 वर्ग मी० (40%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत मू-आच्छादित क्षेत्रफल	=	10,344.62 वर्ग मी० (20.25%)
वर्तमान में निर्मित मू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 00 टॉवर्स)	=	7,221.64 वर्ग मी० (14.14%)

एफ०ए०आर० का विवरण (टॉवर सं० ए, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जी०)

सम्पूर्ण योजना में अनुमत्य एफ०ए०आर०	=	1,40,434.25 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०	=	1,25,813.00 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर० (00 टॉवर्स)	=	1,22,116.40 वर्ग मी०

उत्तरीय यूनिट का विवरण

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृता उत्तरीय यूनिट
गुल निर्मित उत्तरीय यूनिट

1640 यूनिट्स

1640 यूनिट्स

मुद्रा

प्रतिक्रिया -

1. यह अधिमोम प्रमाण पत्र ओखला पक्षी अभयारण को इसको सेन्सिटिव जोन निर्धारण के समन्वय में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को साक्षात् विधायकीय गुल प्रार्थना पत्र संख्या 375, वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनिट ऑफ इण्डिया व अन्य में प्रारित अन्तिम निर्णय को अनुपालन हेतु पट्टाधारक/ उप पट्टाधारक बाध्य होगा।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उओप्रओ अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक तथा संशोधित एवं प्रगावी) का अनुपालन आवंटी संस्था बाध्यकारी होगा।
3. अधिमोम प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी गापें, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधा तथा सेवाओं को योजना के पूर्व में स्वीकृति/पुनरीक्षित के सापेक्ष प्राधिकरण की बिना पूर्ण अनुमति के स्थल पर किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. संदर्भित योजना में अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग लेण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणी एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ ही कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों अंकित निर्देशों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवंटी संस्था पूर्णतः बाध्यकारी होगी।
5. अधिमोम प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर देय धनराशि को जमा करानी होगी अन्य समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye-Laws
submitted for approval Please.

Asst.

Architect

Architect

नाम श्री 0988 श्री प्रिना
पद मुख्य वास्तुनिर्माण निरीक्षक
नौएडा

प्रतिक्रिया - महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनाएं।

o/c



U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

E-12/1, Sector-1, Noida, District Gautam Budh Nagar (U.P.) Tol : 0120-4974552

Proforma to accompany the sample of Industries

1. Name and address of the Industry M/S R.G. Residency ; Plot No -
G/11-02, Sector - 170, Noida.

a) Name of the representative of industry present at the time of sampling
श्री - विकास शर्मा अमरिका वर्मा, श्री C.C. गुप्ता

b) Designation State Manager Vice President

2. Reporting Officers श्री - मुकेश कुमार, Project G.M

a) Name श्री. प्रमोद शर्मा श्री. सुनील कुमार श्री. अशोक कुमार श्री. सत्यजीव कुमार

b) Designation Member SEIAA G. Manager, Jal-1 T.O. श्री सुनील कुमार

3. Date and time of sample collection 27/09/2021

4. Products of the factory Group Housing Society

5. List of raw materials used in process

a) Main raw materials Domestic Sewage

b) Anticipated pollutants PH, Colour, Odour, S.S, T.D.S, T.S, B.O.D, C.O.D

c) Other raw materials and waste products O&G, Fecal Coliform

6. a) Quantity of the waste water discharged in 24 Hrs. in M3/day

b) How assessed No measuring device

7. Details about sampling point

a) Description Final Outlet of S.T.P

b) Sketch Final of S.T.P / G.O

8. Method sampling grab/composite

9. Facsimile of the seal affixed on the sample container Yes

10. Details of existing treatment plant performance of STP

a) Treatment units in operation None

b) Treatment units out of operation All

11. Parameters to be analysed

a) General PH, Colour, Odour, S.S, T.D.S, T.S, B.O.D, C.O.D

b) Special O&G, Fecal Coliform

12. Remarks if any At the time of inspection S.T.P found closed

Signature of representative of the factory C. K. Singh 27/09/2021

27/09/21

Signature of reporting officer [Signature] 27/09/21

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 506/NOC-165/21
सेवा में,

दिनांक: 04-16-2021

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- ग्रुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि०), प्लॉट नं०-जी०एच०-०२, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अयगत होना चाहे कि उपरोक्त संदर्भित आवासीय परियोजना से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 193/2021 आर०जी० रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट ओनर एसोशिएशन एप्लीकेन्ट बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना का सदस्य, (SEIAA), उत्तर प्रदेश, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक-27.09.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती शैफाली गुप्ता, अध्यक्ष (ए०ओ०ए०), श्री सी०एस० गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार, (आर०जी० ग्रुप) परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। आवासीय परियोजना में प्रस्तावित कुल 10 टावर में से 08 टावर निर्मित पाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 1540 फ्लैट निर्मित किये हैं। उक्त निर्मित किये गये फ्लैट्स में से 1320 फ्लैट ऑक्सीपाइड अयगत कराये गये। उक्त आवासीय परियोजना को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के पत्र संख्या नोएडा/मु०या०नि०/2015/III-206/816 दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तथा तत्समय से ही परियोजना में आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास करना प्रारम्भ किया जाना अयगत कराया गया है। आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 900 के०एल०डी० (300KLD x 3) क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित पाया गया, परन्तु निरीक्षण के दौरान स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया तथा जनित उत्प्रवाह कलेक्शन टैंक के माध्यम से पम्प द्वारा अशुद्धिकृत अवस्था में प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। परियोजना द्वारा संचालनार्थ बोर्ड से सहमति जल/वायु भी प्राप्त नहीं की गयी है। जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 593/2017, रिट पिटीशन (सिविल) नं० 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 03.08.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

"The CPCB may take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment and said fund may be kept in a separate account and utilized in terms of an action plan protection of the environment. Such action plan may be prepared by the CPCB within three months"

उक्त के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या बी 31011/बी०एम०डब्ल्यू०/2019/डब्ल्यू०एम०डी०-1 दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से प्राप्त Report of the Committee on Methodology for assessing Penalty & Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the fund के विन्दु 3-1 (F) में यह वर्णित है "In any case, minimum Penalty shall be Rs. 5000/day.

अतः उपरोक्तानुसार ग्रुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि०), प्लॉट नं०-जी०एच०-०२, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर संलग्न आख्यानुसार कुल 1828 दिन डिफाल्टर मानते हुये रू० 91,40,000.00 (रू० इक्यान्वे लाख चालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. विशेष कार्याधिकारी (I)/नोडल-पर्यावरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं० : 0120-4974552


मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ 226018

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

ग्रुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0), प्लॉट नं0-जी0एच0-02, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त संदर्भित आवासीय परियोजना से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट ओनर एसोशिएशन एप्लीकेन्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.08.2021 के अनुपालन में उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना का सदस्य, (SEIAA), उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक-27.09.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती शैफाली गुप्ता, अध्यक्ष (ए0ओ0ए0), श्री सी0एस0 गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार, (आर0जी0 ग्रुप) परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। कार्यालय अभिलेख एवं निरीक्षणोपरान्त आख्या निम्नवत् है-

1. उक्त आवासीय परियोजना में प्रस्तावित कुल 10 टावर में से 08 टावर निर्मित पाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 1540 फ्लैट निर्मित किये हैं। उक्त निर्मित किये गये फ्लैट्स में से 1320 फ्लैट ऑक्यूपाइड अवगत कराये गये। उक्त आवासीय परियोजना को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के पत्र संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2015/III-206/816 दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तथा तत्समय से ही परियोजना में आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास करना प्रारम्भ किया जाना अवगत कराया गया है, प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिसंलग्नक है।
2. आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के कलैक्शन टैंक में एकत्रित कर पम्प के माध्यम से अशुद्धिकृत अवस्था में ही प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। निरीक्षण के दौरान निस्तारित किये जा रहे अशुद्धिकृत सीवर का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद की प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त आवासीय परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ-88400/सी-1/एन/एनओसी/807/2011/5 दिनांक 01.07.2011 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। परियोजना द्वारा ग्रुप हाउसिंग परियोजना के संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किये गये हैं। ग्रुप हाउसिंग परियोजना बोर्ड से वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर संचालित है।
4. उक्त से स्पष्ट है कि ग्रुप हाउसिंग परियोजना द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघनकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 593/2017, रिट पिटीशन (सिविल) नं0 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम





Company Master Data

CIN U70109DL2010PTC197957
 Company Name RG RESIDENCY PRIVATE LIMITED
 ROC Code RoC-Delhi
 Registration Number 197957
 Company Category Company limited by Shares
 Company SubCategory Non-govt company
 Class of Company Private
 Authorised Capital(Rs) 50000000
 Paid up Capital(Rs) 48000000
 Number of Members(Applicable in case of company without Share Capital) 0
 Date of Incorporation 14/01/2010
 Registered Address G-05, Ground Floor, Plot No. SU LSC B-Block RG City Centre, Lawrence Road Delhi North West DL 110035 IN
 Address other than R/o where all or any books of account and papers are maintained -
 Email Id rgcel1995@gmail.com
 Whether Listed or not Unlisted
 ACTIVE compliance ACTIVE compliant
 Suspended at stock exchange -
 Date of last AGM 29/03/2021
 Date of Balance Sheet 31/03/2020
 Company Status(for efilling) Active

Charges

Assets under charge	Charge Amount	Date of Creation	Date of Modification	Status
Immovable property or any interest therein; Book debts	400000000	03/03/2011	22/03/2014	CLOSED
Immovable property or any interest therein	412300000	07/03/2011	15/12/2015	CLOSED
Book debts; Movable property (not being pledge); Project Documents, Escrow, Project receivables etc	400000000	25/03/2011	-	CLOSED
Immovable property or any interest therein; Book debts; Project Documents, Escrow, Project receivables etc	75000000	22/05/2010	-	CLOSED
Immovable property or any interest therein; Book debts; Project Documents, Escrow, Project receivables etc	330000000	08/07/2021	-	OPEN
Immovable property or any interest therein; Book debts; Project Documents, Escrow, Project receivables etc	1700000000	01/06/2017	-	OPEN

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
01339614	RAJESH GOYAL	14/01/2010	-	-
01890274	DEEPAK GUPTA	25/11/2016	-	-



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांक: 506/NOC-165/21
सेवा में,

दिनांक: 04-10-2021

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-1,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:- गुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि०), प्लॉट नं०-जी०एच०-02, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत होना चाहेंगे कि उपरोक्त संदर्भित आवासीय परियोजना से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 193/2021 आर०जी० रेजिडेन्सी अपार्टमेंट ओनर एसोशिएशन एप्लीकेन्ट बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में उक्त गुप हाउसिंग परियोजना का सदस्य, (SEI/A), उत्तर प्रदेश, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक-27.09.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती शीफाली गुप्ता, अध्यक्ष (एसओए०), श्री सी०एस० गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार, (आर०जी० गुप) परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। आवासीय परियोजना में प्रस्तावित कुल 10 टावर में से 08 टावर निर्मित पाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 1540 फ्लैट निर्मित किये हैं। उक्त निर्मित किये गये फ्लैट्स में से 1320 फ्लैट ऑक्सीपाइड अवगत कराये गये। उक्त आवासीय परियोजना को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के पत्र संख्या नोएडा/मु०वा०नि०/2015/III-206/816 दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तथा तत्समय से ही परियोजना में आर्टी द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास करना प्रारम्भ किया जाना अवगत कराया गया है। आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 900 क०एल०डी० (300KLD X 3) क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित पाया गया, परन्तु निरीक्षण के दौरान स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया तथा जनित उत्प्रवाह कलैक्शन टैंक के माध्यम से पम्प द्वारा अशुद्धिकृत अवस्था में प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। परियोजना द्वारा संचालनार्थ बोर्ड से सहमति जल/वायु भी प्राप्त नहीं की गयी है। जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों के प्राख्यापित प्रावधानों का उल्लंघन है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 593/2017, रिट पिटीशन (सिविल) नं० 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 03.08.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

"The CPCB may take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment and said fund may be kept in a separate account and utilized in terms of an action plan protection of the environment. Such action plan may be prepared by the CPCB within three months"

उक्त के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या वी 31011/वी०एम०डब्ल्यू०/2019/डब्ल्यू०एम०डी०-1 दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से प्राप्त Report of the Committee on Methodology for assessing Penalty & Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the fund के विन्दु 3-1 (F) में यह वर्णित है "In any case, minimum Penalty shall be Rs. 5000/day."

अतः उपरोक्तानुसार गुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर०जी० रेजिडेन्सी प्रा०लि०), प्लॉट नं०-जी०एच०-02, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर संलग्न आख्यानुसार कुल 1828 दिन डिफाल्टर मानते हुये रू० 91,40,000.00 (रू० इक्यान्वे लाख चालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण यत्नाओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. विशेष कार्यधिकारी (I)/नोडल-पर्यावरण, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : ई-12/1, सेक्टर-1, नोएडा-201301 फोन नं० : 0120-4974552

मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226040

Website - www.uppcb.com, e-mail : ronoida@uppcb.in

ग्रुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0), प्लॉट नं0-जी0एच0-02, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त संदर्भित आवासीय परियोजना से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 193/2021 आर0जी0 रेजिडेन्सी अपार्टमेन्ट ओनर एसोशिएशन एप्लीकेन्ट बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में उक्त ग्रुप हाउसिंग परियोजना का सदस्य, (SEIAA), उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक-27.09.2021 को किया गया। निरीक्षण के समय श्रीमती शैफाली गुप्ता, अध्यक्ष (ए0ओ0ए0), श्री सी0एस0 गुप्ता, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार, (आर0जी ग्रुप) परियोजना प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। कार्यालय अभिलेख एवं निरीक्षणोपरान्त आख्या निम्नवत् है-

1. उक्त आवासीय परियोजना में प्रस्तावित कुल 10 टावर में से 08 टावर निर्मित पाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 1540 फ्लैट निर्मित किये है। उक्त निर्मित किये गये फ्लैट्स में से 1320 फ्लैट ऑक्यूपाइड अवगत कराये गये। उक्त आवासीय परियोजना को नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के पत्र संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2015/III-206/816 दिनांक 09.09.2015 के माध्यम से पार्ट कम्प्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तथा तत्समय से ही परियोजना में आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवास करना प्रारम्भ किया जाना अवगत कराया गया है, प्राधिकरण द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिसंलग्नक है।
2. आवासीय परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र पूर्णतः बन्द/निष्प्रयोज्य अवस्था में पाया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के कलैक्शन टैंक में एकत्रित कर पम्प के माध्यम से अशुद्धिकृत अवस्था में ही प्राधिकरण के सीवर में निस्तारित होता पाया गया। निरीक्षण के दौरान निस्तारित किये जा रहे अशुद्धिकृत सीवर का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद की प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त आवासीय परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एफ-88400/सी-1/एन/एनओसी/807/2011/5 दिनांक 01.07.2011 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। परियोजना द्वारा ग्रुप हाउसिंग परियोजना के संचालनार्थ राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु अभी तक आवेदन नहीं किये गये है। ग्रुप हाउसिंग परियोजना बोर्ड से वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये बगैर संचालित है।
4. उक्त से स्पष्ट है कि ग्रुप हाउसिंग परियोजना द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। उल्लंघनकारी परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 593/2017, रिट पिटीशन (सिविल) नं0 375/2012, पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 03.08.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

"The CPCB may take penal action for failure, if any, against those accountable for setting up and maintaining STPs, CETPs and ETPs. CPCB may also assess and recover compensation for damage to the environment and said fund may be kept in a separate account and utilized in terms of an action plan protection of the environment. Such action plan may be prepared by the CPCB within three months"


5. उक्त के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या बी 31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0-1 दिनांक 08.02.2019 के माध्यम से प्राप्त Report of the Committee on Methodology for assessing Penalty & Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the fund के बिन्दु 3-1 (F) में यह वर्णित है "In any case, minimum Penalty shall be Rs. 5000/day.
6. उक्त आवासीय परियोजना में घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु स्थापित एस0टी0पी0 का संचालन न किये जाने एवं परियोजना संचालनार्थ राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त न किये जाने के दृष्टिगत आवासीय परियोजना को प्राधिकरण द्वारा निर्गत कम्प्लीशन सर्टिफिकेट/आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट दिनांक 09.09.2015 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 27.09.2021 तक कुल 2211 डिफाल्टर दिन आंकलित हो रहे हैं, जो अवधि 05 वर्ष से अधिक है। अतः परियोजना के निरीक्षण दिनांक 27.09.2021 से पूर्ववर्ती 05 वर्ष हेतु गणना करते हुये दिनांक 26.09.2016 तक (वर्ष-2016 में दिनांक 27.09.2016 से 31.12.2016 तक-97 दिन, वर्ष-2017-365 दिन, वर्ष-2018-365 दिन, वर्ष-2019-365 दिन, वर्ष-2020-366 दिन, वर्ष-2021 में दिनांक 27.09.2021 तक-270 दिन) के दिनों को डिफाल्टर मानकर (कुल-1828 दिन) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू 5,000 प्रति दिन की दर से अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

गणना - पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति = Rs. 5000 x 1828 Days

= Rs. 91,40,000.00 (रू0 इक्यानबे लाख चालिस हजार मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार ग्रुप हाउसिंग परियोजना ग्रुप हाउसिंग परियोजना मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी (प्रमोटर- मेसर्स आर0जी0 रेजिडेन्सी प्रा0लि0), प्लॉट नं0-जी0एच0-02, सेक्टर-120, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर पर रू0 91,40,000.00 (रू0 इक्यानबे लाख चालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 (यथा संशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशनार्थ सादर प्रस्तुत है।


05/10/2021

(पी0पी0 सिंह)
अवर अभियन्ता


05/10/2021
(सत्य विजय)

सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन रोक्टर-8 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या: नौएडा/मु०वा०नि०/2015/ III-206 | 816

दिनांक: 09/9/15

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स आर०जी० रेजीडेन्सी (प्रा०) लिमिटेड
भूखण्ड सं० जीएच - 02, सैक्टर - 120,
नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री शशांक शर्मा काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/97/22034 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में गुण हाउसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 02, सैक्टर - 120, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिमोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिमोग के योग्य है।

यह अधिमोग पत्र दिनांक 28.08.2015 को प्राधिकरण द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा विट्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा विट्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिमोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वागी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 51,067.00 वर्ग मी०

भू-आच्छादन का विवरण:

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 20,426.80 वर्ग मी० (40%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 10,344.62 वर्ग मी० (20.25%)
वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 09 टॉवरी) = 7,221.64 वर्ग मी० (14.14%)

एफ०ए०आर० का विवरण (टॉवर सं० ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जेके)

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० = 1,40,434.25 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर० = 1,25,613.988 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर० (09 टॉवरी) = 1,22,116.490 वर्ग मी०

उत्तरीय यूनिट का विवरण

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत उत्तरीय यूनिट
कुल निर्मित उत्तरीय यूनिट

= 1540 यूनिट्स
= 1540 यूनिट्स

मुद्र
न

प्रतिबन्ध -


1. यह अधिमोग प्रमाण पत्र ओखला पशी अभ्यारण के ईको रोन्सिटिव जोन निर्धारण के सम्वन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विघाराधीन गूल प्रार्थना पत्र संख्या 375, वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनिट ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय को अनुपालन हेतु पट्टाधारक/ उप पट्टाधारक वाध्य होंगे।
2. नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्वन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्ग नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रमायी) का अनुपालन आवंटी संस्था व वाध्यकारी होगा।
3. अधिमोग प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी गार्में, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधा तथा सेवाओ को योजना के पूर्व में स्वीकृति/पुनरीक्षित के सापेक्ष प्राधिकरण की विना पूर्व अनुमति के स्थल व किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वर कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
4. संदर्भित योजना में अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संस्क्षण व रिसाइकिलिंग लेण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रवचन, पर्यावरणी एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमें कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों अंकित निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवंटी संस्था पूर्णत वाध्यकारी होगी।
5. अधिमोग प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर देय धनराशि को जमा करानी होगी अन्य समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

भावदीय,

Completion Drawing is as per Bye Laws
submitted for approval Please

 P. Asst.  Archt.  Archt.

नाम  श्रीना
पद  मुख्याधिकारि निरीक्षण
नौएडा

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सूचनार्थ।

o/c

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन शेक्टर-0 नोएडा (उ०प्र०)

संख्या:- नोएडा/मु०या०नि०/2015/ III-206 | 8/6

दिनांक : 09/9/15

मुख्य कायपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स आर०जी० रेजीडेन्सी (प्रा०) लिमिटेड
भूखण्ड सं० जीएच - 02, शेक्टर - 120,
नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री शशांक शर्मा फाउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/97/22034 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 02, शेक्टर - 120, नोएडा पर किये गये भवन का निर्माण / पुनर्निर्माण/परिवर्तन / गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिमोग संरचना मजबूती अनिसुखा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिमोग के योग्य है।

यह अधिमोग पत्र दिनांक 28.08.2015 को प्राधिकरण द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। नवियमानचित्र स्वीकृत करने तथा उस भाग का अधिमोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी / मू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 51,067.00 वर्ग मी०

मू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य मू-आच्छादित क्षेत्रफल = 20,426.80 वर्ग मी० (40%)
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत मू-आच्छादित क्षेत्रफल = 10,344.62 वर्ग मी० (20.25%)
वर्तमान में निर्मित मू-आच्छादन क्षेत्रफल (कुल 09 टॉवर्स) = 7,221.64 वर्ग मी० (14.14%)

एफ०ए०आर० का विवरण (टॉवर सं० ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जेके)

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० = 1,40,434.25 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर० = 1,25,613.988 वर्ग मी०
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर० (09 टॉवर्स) = 1,22,116.490 वर्ग मी०

उत्सृष्टिग युगिष्ठ का गिणरण

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृति उत्सृष्टिग युगिष्ठ
कुल गिणित उत्सृष्टिग युगिष्ठ

1040 युगिष्ठरा

1040 युगिष्ठरा

पुष्प
नव
8


प्रतिबन्ध -


1. यह अधिभोग प्रमाण पत्र ओखसा पशी आग्यरण को ईको रोन्सिाटिव जोन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को समस्त विचारणीय मूल प्रार्थना पत्र संख्या 375, वर्ष 2016, परगवीर सिंह बनाम युनिकॉ ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित अन्तिम गिणिय को अनुपालन हेतु पट्टाधारक/ उभ पट्टाधारक नाव्य होगे ।
2. नौएडा भवन गिणियगावली - 2010, उओडो अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार को लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रगायी) का अनुपालन आबंटी संस्था प बाध्यकारी होगा।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं समापन मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें, क्षेत्रफल, पार्किंग, हरित क्षेत्रफल, सुविधा तथा सेवाओं को योजना के पूर्व में स्वीकृति/पुनरीकित के सापेक्ष प्राधिकरण की विना पूर्व अनुमति के स्थल प किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको द्यर कर / हटये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. संदर्भित योजना में अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग लैण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवररेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणी एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ होने कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों अंकित निर्देशों /शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आबंटी संस्था पूर्णत बाध्यकारी होगी ।
5. अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर देय धनराशि को जमा करानी होगी अन्य समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।


संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye Laws
submitted for approval Please



 Archt/Kocl


नाम वी.के.एस.एस.ना
मुख्य 'वास्तुविद' गिणोजक
पदनौएडा.....
नौएडा

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक (ग्रुप हाउसिंग), नौएडा को सूचनाार्थ ।

o/c